राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.1(11) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2021/15172-204 दिनांक : 30/11/2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान

विषयः– **कोविड–19 से मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता के संबंध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 539/2021 एवं 554/2021 में पारित निर्णय की पालना में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.09.2021 द्वारा कोविड–19 के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को अनुग्रह सहायता दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

इसी कम में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को अनुग्रह सहायता दिये जाने हेतु दिनांक 25.09.2021 को एसडीआरएफ नोर्म्स जारी किये गये है। इस संबंध में कोविड–19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह सहायता दिये जाने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. कोविड–19 से मृत व्यक्तियों के परिजन सहायता हेतु आवेदन SSO Portal के माध्यम से G2C में जाकर Disaster Management Information System पर अनुग्रह सहायता राशि में जाकर अपने जन–आधार नम्बर के माध्यम से आवेदन करेंगे।

2. आवेदनकर्ता अनुग्रह सहायता के आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, मृतक से संबंध का कोई भी दस्तावेज, बैंक खाता का विवरण मय आईएफएस कोड अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

3. ऐसे मामलों में जहा कोविड–19 रोगी के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर विवाद की स्थिति है उनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 23.9.2021 के द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रकरणों का निस्तारण उक्त आदेश में दी गई प्रकियानुसार किया जावेगा। (आदेश की प्रति संलग्न)

4. अनुग्रह सहायता हेतु आवेदनकर्ता से वांछित दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जिला कलक्टर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर 30 दिवस के अन्दर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. विभागीय एप्लीकेशन डीएमआईएस पर ऑनलाईन एप्लीकेशन प्रस्तुत करने हेतु अपने जिले के ई–मित्र केन्द्रों को निर्देशित करें ताकि आमजन को कठिनाई का सामना ना करना पडे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशो की आवश्यक रूप से पालना की जावें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ठ सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार
3. संयुक्त सलाहकार, (आर.आर) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. अवर सचिव, (डी.एम. डिबीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
8. सहायक शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी–प्रथम, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव